भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

बिहटा, पटना – 801106 (बिहार)
दूरभाष संख्या: (0612) 3028784
वेबसाईट: www.iitp.ac.in
ई–मेल: drgenadmin@iitp.ac.in

अभिव्यक्ति की अभिरूचि

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर में विभिन्न दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस/अनुज्ञप्ति अनुदान

(आईआईटीपी/एडमिन/मार्केट/ईओआई/2020–21/1 दिनांक 27.07.2020)

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 27.08.2020, 17:00 बजे तक

पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कागजी प्रति जमा करने का पता:

उप–कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना
बिहटा, पटना–801 106, बिहार
ई–मेल: **drgenadmin@iitp.ac.in**

विषय–सूची

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर में विभिन्न दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस/अनुज्ञप्ति

अनुभाग	विवरण	पृष्ठ संख्या
I.	अभिव्यक्ति की अभिरूचि	**3**
II.	कार्यक्षेत्र	**4**
III.	अभिव्यक्ति की अभिरूचि का मूल्यांकन	**5-6**
IV.	निविदा–पूर्व पूछताछ, ई.ओ.आई. संशोधन, ई.ओ.आई. प्रस्तुतीकरण, आवेदन शुल्क एवं अग्रिम जमा राशि (ई.एम.डी.)	**7-11**
V.	सामान्य नियम एवं शर्तें	**12-18**
अनुलग्नक		
I	अनुज्ञप्ति के आधार पर आवंटित की जाने वाली दुकानों की सूची (दुकान का नाम एवं श्रेणी)	**19-20**
II	आवेदन–पत्र	**21**
III	तकनीकी निविदा के लिए प्रारूप (कम्पनी/फर्म के शीर्ष पत्र)	**22**
IV	ई0ओ0आई में भाग लेने के लिए काली सूची/रोक के संबंध में घोषणा	**23**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

बिहटा, पटना – 801 106 (बिहार)

दूरभाष संख्याः (0612) 3028784

अनुभाग–I

आईआईटीपी/एडमिन/मार्केट/ईओआई/2020–21/1 दिनांकः 27.07.2020

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ई.ओ.आई)

ई.ओ.आई दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर में विभिन्न दुकानों के संचालन/कारोबार को करने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, बिहटा, पटना–801106 की ओर से आमंत्रित किया जाता है।

<table>
<tr><th colspan="6">अभिव्यक्ति की अभिरूचि की अनुसूची</th></tr>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>गतिविधि विवरण</th><th colspan="4">अनुसूची</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>ई.ओ.आई संख्या</td><td colspan="4">आईआईटीपी/एडमिन/मार्केट/2020–21/1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ई.ओ.आई निर्गमन तिथि</td><td colspan="4">27.07.2020</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>दूकानों की सूची</td><td colspan="4">परिशिष्ट–I</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निविदा–पूर्व पूछताछ की अंतिम तिथि</td><td colspan="4">12.08.2020, 03:00 बजे अपराह्न
निविदा पूर्वक बैठक का आयोजन ऑनलाईन माध्यम यथा Webex (Cisco) Teams (Microsoft)/ Meet (Google) से किया जाएगा। भावी/ईच्छुक निविदादाता उक्त बैठक में शामिल होने हेतु ईमेल drgenadmin@iitp.ac.in पर उपरोक्त तिथि से पूर्व सम्पर्क कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ई मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि (पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा जमा की जानी है)</td><td colspan="4">27.08.2020, 17:00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>ई.ओ.आई की वैद्यता</td><td colspan="4">खोलने की तिथि से 90 दिनों तक</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7.</td><td rowspan="4">आवेदन/निविदा शुल्क एवं अग्रिम जमा राशि (EMD)</td><td>क्र. सं.</td><td>दुकान की श्रेणी</td><td>आवेदन/निविदा शुल्क</td><td>बयाना जमा राशि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>अ</td><td>रू. 1000/-</td><td>रू. 8000/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ब</td><td>रू. 500/-</td><td>रू. 4000/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स</td><td>रू. 150/-</td><td>रू. 1000/-</td></tr>
</table>

अनुभाग–II

1. **कार्य क्षेत्र**

1.1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (राष्ट्रीय महत्व का शिक्षण संस्थान) संस्थान परिसर में विभिन्न प्रकार के दुकान को चलाने/आवंटन हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित, योग्य एवं अनुभवी निविदादाताओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति में वर्णित प्रावधानों के तहत सील बंद प्रस्ताव समर्पित करने हेतु आमंत्रित करता है।

1.2 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना पूरी तरह से आवासीय परिसर से युक्त है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना अपने लगभग 2000 छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों की दैनंदिनी जरूरतों की पूर्ति हेतु विभिन्न दुकानों/प्रतिष्ठानों हेतु उपयुक्त जगह प्रदान करेगा।

1.3 निविदा में सफल आवेदकों को उक्त स्थान/जगह का आवंटन लाइसेंस शुल्क के आधार पर किया जाएगा।

1.4 निविदादाता उचित मूल्य/एमआरपी और सही मात्रा में आवश्यक सामान/सेवाएं हर समय उपलब्ध कराएगा।

1.5 वस्तु/सेवाओं की गुणवत्ता उच्च मानक और ब्रांडेड होनी चाहिए।

1.6 आवंटित दुकानें कम से कम 07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे रात्रि तक या तय समय के दौरान खुली रहेंगी जैसा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा निर्धारित एवं सूचित किया जाएगा।

1.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर के निवासियों के साथ लाइसेंसधारी और उसके कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार अपेक्षित है।

1.8 पट्टा (लीज) की अवधि शुरू में श्रेणी 'अ' के लिए 'पांच वर्ष', श्रेणी 'ब' के लिए 'तीन वर्ष' और श्रेणी 'स' के लिए 'एक वर्ष' लाइसेंस अनुदान की तिथि से होगी और अनुज्ञप्तिधारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार व संस्थान के अनुमोदन/स्वीकृति के फलस्वरूप वार्षिक आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्रम सं.	दुकान की श्रेणी	पट्टा (लीज) की अवधि
1	अ	5 वर्ष
2	ब	3 वर्ष
3	स	1 वर्ष

अनुभाग–III

2. <u>अभिव्यक्ति की अभिरूचि का मूल्यांकन</u>

(क) सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत गठित समिति (निविदा मूल्यांकन समिति) प्राप्त निविदाओं/आवेदनों का मूल्यांकन, निविदा में वर्णित योग्यता शर्तों के आलोक मे करेगी।

(ख) निविदादाताओं द्वारा समर्पित निविदा दस्तावेजों के मूल्यांकन के पश्चात समिति तकनीकी रूप से योग्य फर्मों/एजेंसियों की एक सूची तैयार करेगी।

(ग) समिति अनुच्छेद 3 में उल्लेखित तालिका के अनुसार तकनीकी योग्यता के आधार पर प्रत्येक निविदा का मूल्यांकन करेगी। श्रेणी 'अ' और श्रेणी 'ब' की दुकानों के लिए समर्पित निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के लिए कुल अंक 50 (पचास) है, जिसमें प्रत्येक निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अंक मिलेंगे। तकनीकी मूल्यांकन में कम से कम 25 (पच्चीस) अंक प्राप्त करने वाले निविदादाताओं को प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जाएगा।

(घ) श्रेणी 'स' की दुकानों के लिए निविदादाताओं द्वारा समर्पित दस्तावेजों के सफल मूल्यांकन के बाद उन्हें प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जाएगा।

(ड़) निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि के निविदा मूल्यांकन के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ई.ओ. आई. को प्रभावित करने में संलिप्त पाए जाने पर उनकी निविदा सीधे खारिज कर दी जाएगी।

(च) वैसे आवेदक जो वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर में किसी तरह के दुकान का संचालन कर रहे हैं, उनके निविदा के मूल्यांकन के समय, उनके पूर्व के समग्र प्रदर्शनों एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना समुदाय के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जा सकता है। यद्यपि, इस संबंध में कोई भी निर्णय संस्थान प्राधिकार के विवेकानुसार होगा तथा संबंधित एजेंसी/निविदादाताओं से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(छ) श्रेणी 'अ' और श्रेणी 'ब' में दुकानों के लिए कुल प्राप्तांक 100 में से प्राप्त अंकों के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जायेगा। **(तकनीकी मूल्यांकन के लिए 50 अंक और समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए 50 अंक निर्धारित है)**

(ज) श्रेणी स में दुकानों के लिए कुल प्राप्तांक 100 में से प्राप्त अंकों के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जायेगा। **(समिति के समक्ष प्रस्तुति/पारस्परिक व्यवहार/सहभागिता जो कि 100 अंक का होगा)**

3. <u>मूल्यांकन मानदंड</u>

3(क) <u>श्रेणी 'अ' और 'ब' की दुकानों के लिए मूल्यांकन मानदंडः</u>

मानदंड	अधिकतम अंक
वार्षिक वित्तीय कारोबार (टर्नओवर)	20 अंक
कार्य अनुभव	30 अंक
समिति के समक्ष प्रस्तुति/पारस्परिक व्यवहार/सहभागिता	50 अंक

*समिति गुणवत्ता के साथ, अवधारणा, मूल्य निर्धारण और छूट का विश्लेषण करेगी। प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन प्रस्तुतकर्त्ता के अवधारणा, नवीनता, मूल्य निर्धारण, छूट, उत्पाद–क्षेत्र और इच्छित ढांचागत विकास योजना पर किया जाएगा।

 # वैसे आवेदक, जो वर्तमान में किसी सरकारी/सार्वजनिक संस्थान में दुकान का संचालन कर रहे हैं, उनके निविदा के मूल्यांकन के समय उनके पूर्व के प्रदर्शनों को ध्यान में रखा जाएगा।

3(ख) श्रेणी 'स' की दुकानों के लिए मूल्यांकन हेतु मानदंडः

मानदंड	अधिकतम अंक
समिति के समक्ष प्रस्तुति/पारस्परिक व्यवहार/सहभागिता	100 अंक

 # वैसे आवेदक, जो वर्तमान में किसी सरकारी/सार्वजनिक संस्थान में दुकान का संचालन कर रहे हैं, उनके निविदा के मूल्यांकन के समय उनके पूर्व के प्रदर्शनों को ध्यान में रखा जाएगा।

3(ग) कार्य अनुभव के मानदंड के लिए 30 अंकों का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	**दुकान की श्रेणी**	**कार्य अनुभव के वर्षों की संख्या**	**प्रदान किये जाने वाले अंक**
1.	**अ एवं ब**	>**3 वर्ष – 4 वर्ष**	**10**
2.		> **4 वर्ष – 5 वर्ष**	**15**
3.		>**5 वर्ष - 6 वर्ष**	**20**
4.		> **6 वर्ष – 7 वर्ष**	**25**
5.		> **7 वर्ष**	**30**

3(घ) वार्षिक वित्तीय कारोबार (टर्नओवर) के आधार पर दिये जाने वाले अंकों (क्रमशः श्रेणी **अ** और श्रेणी **ब** के लिए क्रमशः पिछले 5 वर्ष और 3 वर्षों का औसत) का विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	वार्षिक वित्तीय कारोबार (रूपये लाख में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
1.	>**5.00** लाख – **10.00** लाख	5
2.	> **10.00** लाख – **15.00** लाख	10
3.	> **15.00** लाख - **20.00** लाख	15
4.	**20.00** लाख से ऊपर	20

3(ड़) श्रेणी **अ** और श्रेणी **ब** हेतु प्राप्त निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के लिए कुल 50 (पचास) अंक हैं जिसमें प्रत्येक निविदादाता को, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में कम से कम 25 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता को प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाएगा।

3(च) वैसे आवेदक जो वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर में किसी तरह के दुकान का संचालन कर रहे हैं, उनके निविदा के मूल्यांकन के समय उनके पूर्व के समग्र प्रद**र्श**नों एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के समुदाय के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जा सकता है। यद्यपि, इस संबंध में कोई भी निर्णय संस्थान प्राधिकार के विवेकानुसार होगा तथा संबंधित एजेंसी/निविदादाताओं से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

नोटः– निविदा दस्तावेज जमा करने की तिथि तक यदि किसी व्यक्ति/फर्म के उपर संस्थान का किसी भी प्रकार बकाया रखने वाले आवेदक वर्तमान ई.ओ.आई. में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, यदि उनके द्वारा भाग लिया जाता है तो उनकी निविदा को बिना कारण बताए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

अनुभाग–IV

4. निविदा–पूर्व पूछताछ

भावी आवेदकों से अनुरोध है कि वे निविदा–पूर्व पूछताछ, यदि हो तो, दिनांक 12.08.2020, अपराह्न 2 बजे तक ई–मेलः drgenadmin@iitp.ac.in भेज दें। दिनांक 12..08.2020, अपराह्न 2 बजे के पश्चात कोई भी पूछताछ/प्रश्न स्वीकार्य नहीं होगा।
NOTE :– निविदा पूर्वक बैठक का आयोजन ऑनलाईन माध्यम यथा **Webex (Cisco) / Teams (Microsoft) /Meet (Google)** से किया जाएगा। भावी/ईच्छुक निविदादाता उक्त बैठक में शामिल होने हेतु ईमेल drgenadmin@iitp.ac.in पर 12..08.2020, अपराह्न 2 बजे के पूर्व सम्पर्क कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ई मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तत्संबंधी शुद्धि–पत्र (यदि आवश्यक हुआ तो) सिर्फ संस्थान के वेबसाईट पर हीं प्रकाशित किया जाएगा।

5. **अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ई.ओ.आई)**. का संशोधन

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय या तो संस्थान स्वयं पहल कर या किसी भावी निविदादाताओं द्वारा ई.ओ.आई के किसी प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में, परिशिष्ट/शुद्धि–पत्र के माध्यम से ई.ओ.आई. में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार से निर्गत किसी भी प्रकार के परिशिष्ट/शुद्धि–पत्र का प्रकाशन सिर्फ संस्थान के वेबसाईट पर किया जाएगा, तथा यह संशोधन ई.ओ.आई. का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा।

6. **अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ई.ओ.आई)**. को जमा करनाः

6(क). ई.ओ.आई. में वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले निविदादाताओं/एजेंसी/दुकानदारों से एकल–निविदा प्रणाली में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। ई.ओ.आई./निविदा एक पैकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस पैकेट के उपर ई.ओ.आई. संख्या एवं जमा करने की तिथि के साथ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना परिसर में विभिन्न दुकानों के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति/लाइसेंस विज्ञापन संख्या के साथ निम्नलिखित विवरण अंकित होना चाहिए।

(दुकान का नाम .... श्रेणी .... दुकान क्रम संख्या ....)
(कृपया परिशिष्ट–I देखें)

6(ख). आवेदक के द्वारा ई.ओ.आई. फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए आवेदन शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (DD) या भारतीय स्टेट बैंक आई–कलेक्ट के माध्यम से जमा किए जाने के प्रमाण को भी मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा।

6(ग). ई.ओ.आई. को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट से 27.08.2020, 5 बजे अपराहन को या उससे पहले "उप–कुलसचिव (सामान्य प्रशासन), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, बिहटा, पटना–801 106" को प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6(घ). नाबालिग/अव्यस्क के नाम पर प्राप्त या नाबालिग/अव्यस्क की ओर से प्राप्त ई.ओ.आई को निरस्त कर दिया जाएगा और बयाना राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा।

6(ङ). फर्म/कम्पनी/संस्थानों आदि के मामलें में अधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकार पत्र के साथ ई.ओ.आई. आवेदन जमा कर सकते हैं।

6(च). निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ई.ओ.आई. खोलने के समय मुहरबंद किए गए पैकेट/लिफाफे को खोलने के दौरान आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि (केवल एक) उपस्थित हो सकते हैं।

6(छ). ई.ओ.आई. में वर्णित नियम एवं शर्तों के इतर अतिरिक्त शर्तों या पूर्व शर्तों के साथ प्राप्त निविदा, निविदा खोलने के समय ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6(ज). ई.ओ.आई. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में समर्पित किया जा सकता है।

6(झ). निविदादाता फर्म का साझीदार फर्म होने की दशा में, सभी साझेदारों के नामों के उल्लेख के साथ साझेदारी समझौते की सत्यापित प्रति भी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। निविदादाता के कंपनी होने की दशा में, कंपनी द्वारा प्राधिकृत प्रबंध निदेशक द्वारा निविदा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

6(ञ). ई.ओ.आई. संबंधी कोई भी शुद्धि–पत्र सिर्फ संस्थान के वेबसाईट पर जारी किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। डाक विभाग से विलम्ब से प्राप्त या अन्य किसी कारण से हुए विलम्ब के कारण निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

6(ट). निविदा हेतु आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किए जाने पर ई.ओ.आई. आवेदन अपूर्ण/अवैद्य माना जाएगा।

6(ठ). निविदा प्रस्ताव सभी आवश्यक कागजात/प्रमाण पत्र (स्वअभिप्रमाणित प्रति) के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

6(ड़). निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय 27.08.2020, सायं 5 बजे है।

6(ढ). निविदा जाँच के दौरान या दुकान आवंटन के पश्चात यदि यह पाया गया कि निविदादाता ने समुचित जानकारी/सूचना नहीं दिया है अथवा अपूर्ण/भ्रामक सूचना प्रदान किया है, ऐसी स्थिति में इनकी निविदा रदद् कर दिया जाएगा। यदि दुकान संचालित करने एवं अनुज्ञप्ति का आवंटन कर दिया जाता है, तो आवंटन भी रदद् किया जा सकता है। आई.आई.टी. पटना को यह अधिकार है कि वह बिना कारण या प्रसंग के कोई एक या सभी निविदा को रदद् कर सकता है और पुनः ई.ओ.आई. आमंत्रित कर सकता है।

7. श्रेणी 'ए' और 'बी' दुकानों के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

(I) आईआईटी पटना समुदाय को निर्धारित मूल्य सूची पर पेश की गई उत्पाद/सेवाओं की श्रेणी, मूल्य और छूट (यदि हो तो) के साथ आई0आई0टी0 पटना परिसर में प्रस्तावित व्यवसाय का विस्तृत विवरण।

(II) किसी अन्य स्थानों पर समरूप व्यवसाय चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो): श्रेणी 'अ' में उल्लिखित दुकानों के लिए पिछले पांच वर्ष के अनुभव का विस्तृत विवरण तथा श्रेणी 'ब' में उल्लिखित दुकानों के लिए पिछले तीन वर्ष के अनुभव का विस्तृत विवरण।

(III) किसी सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों में संचालित दुकानों की विवरणी, यदि हो तो, उस संस्थान द्वारा निर्गत कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(IV) श्रेणी अ की दुकानों के लिए पिछले 5 वर्षों के लिए लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट के साथ आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति तथा श्रेणी ब की दुकानों के लिए विगत 3 वर्षों के लिए लाभ और हानि खाते तथा बैलेंस शीट के साथ आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति ।

(V) उपयुक्त सरकार/प्राधिकार द्वारा निर्गत निविदादाता फर्म/कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(VI) फर्म/एजेंसी का पैन नंबर, फर्म/एजेंसी का स्थायी और वर्तमान पता का प्रमाण, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति।

(VII) वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), वजन और माप अधिनियम के अंतर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), खाद्य सुरक्षा और मानक अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) या फर्म/एजेंसी का कोई अन्य वैधानिक पंजीकरण/अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।

(VIII) प्रतिष्ठित (ब्रांडेड) वस्तु और सेवाओं हेतु निर्माता/सेवा प्रदाता का प्राधिकार पत्र/डीलरशिप/फ्रैंचाइजी (यदि लागू हो)।

(IX) प्रस्तावित व्यवसाय की निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म के प्रमुख कर्मियों का विवरण और आवेदित दुकान के लिए भावी इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना का विस्तृत विवरण।

(X) EMD भुगतान प्रमाण पत्र की मूल प्रति डिमांड ड्राफ्ट/एसबीआई आई–कलेक्ट (SB I-Collect) जमा रसीद की मूल प्रति।

(XI) Annexure – II, III & IV में वर्णित प्रारूप में आवेदन/घोषणा।

(XII) वैसे दस्तावेज जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, परन्तु निविदा के प्रावधान के तहत आवश्यक है तो आईआईटी पटना के सक्षम प्राधिकार द्वारा इसकी मांग की जा सकती है।

(XIII) यदि निविदादाता का आई0आई0टी0 पटना परिसर में वर्तमान में कोई दुकान चल रही है, तो आई0आई0टी0 पटना द्वारा निर्गत बेबाकी (अदेय) प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)।

8. श्रेणी 'सी' की दुकानों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

(I) आईआईटी पटना समुदाय को निर्धारित मूल्य सूची पर पेश की गई उत्पाद/सेवाओं की श्रेणी, मूल्य और छूट (यदि हो तो) के साथ आई0आई0टी0 पटना परिसर में प्रस्तावित व्यवसाय का विस्तृत विवरण।

(II) पिछले अनुभव का विस्तृत विवरण।

(III) किसी सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों में संचालित दुकानों की विवरणी, यदि हो तो, उस संस्थान द्वारा निर्गत कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(IV) उपयुक्त सरकार/प्राधिकार द्वारा निर्गत निविदादाता फर्म/कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(V) फर्म/एजेंसी का पैन नंबर, प्रस्तावित फर्म/एजेंसी का स्थायी और वर्तमान पता का प्रमाण, निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक/व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति।

(VI) वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), वजन और माप अधिनियम के अंतर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), खाद्य सुरक्षा और मानक अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) या फर्म/एजेंसी का कोई अन्य वैधानिक पंजीकरण/अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।

(VII) प्रतिष्ठित ब्रांड के वस्तु और सेवाओं हेतु निर्माता/सेवा प्रदाता का प्राधिकरण/डीलरशिप/फ्रैंचाइज (यदि लागू हो)।

(VIII) EMD भुगतान प्रमाण पत्र की मूल प्रति डिमांड ड्राफ्ट/एसबीआई आई–कलेक्ट (SB I-Collect) जमा रसीद की मूल प्रति।

(IX) Annexure – II, III & IV में वर्णित प्रारूप में आवेदन/घोषणा।

(X) वैसे दस्तावेज जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, परन्तु निविदा के प्रावधान के तहत आवश्यक है तो आईआईटी पटना के सक्षम प्राधिकार द्वारा इसकी मांग की जा सकती है।

(XI) यदि निविदादाता का आई0आई0टी0 पटना परिसर में वर्तमान में कोई दुकान चल रही है, तो आई0आई0टी0 पटना द्वारा निर्गत बेबाकी (अदेय) प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)।

9. आवेदन शुल्क और अग्रिम जमा राशि (EMD)।

क) निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क और अग्रिम जमा राशि (EMD) जमा करना होगा (अनुलग्नक–I जिसे संदर्भित किया जाना है)। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात असफल निविदादाताओं को उनकी अग्रिम **जमा** राशि (EMD) वापस कर दी जाएगी।

ख) निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में समायोजित अग्रिम **जमा** राशि (EMD), निविदादाताओं को अनुबंध की समाप्ति / लाइसेंस अवधि की समाप्ति के उपरान्त, वापस कर दिया जायेगा।

क्रमांक	**दुकान की श्रेणी**	**आवेदन शुल्क**	**अग्रिम जमा राशि (EMD)**
1	**A ('अ')**	**Rs.1000/-**	**Rs 8000/-**
2	**B ('ब')**	**Rs 500/-**	**Rs.4000/-**
3	**C ('स')**	**Rs 150/-**	**Rs 1000/-**

ग) एक से अधिक दुकान के लिए आवेदन करने की दशा में, निविदादाता को प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क और EMD जमा करना होगा। ई0ओ0आई0 (EoI) के साथ आवदेन शुल्क तथा अग्रिम **जमा** राशि (EMD) जमा करने का प्रमाण संलग्न रहना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क और EMD जमा करने के निर्देशों के लिए निम्नलिखित वेबपेज देखे जा सकते हैं।

https://www.iitp.ac.in/images/pdf/SBI_I-Collect.pdf

घ) अग्रिम **जमा** राशि (EMD) का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किए जाने की स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट "Registrar, IIT Patna" के पक्ष में "पटना" में देय के रूप में जमा करना होगा।

ड.) अग्रिम **जमा** राशि (EMD) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

च) आवेदक का अग्रिम **जमा** राशि (EMD), जिसका ई0ओ0आई0 (EoI)स्वीकार कर लिया गया है, निष्पादन सुरक्षा (Performance security) जमा करने पर वापस कर दिया जाएगा, और असफल निविदादाता को EMD की राशि अनुबंध प्रक्रिया समाप्ति के बाद वापस किया जाएगा।

छ) सफल आवेदक अगर संस्थान द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवश्यक निष्पादन सुरक्षा (Performance security) को प्रस्तुत करने में विफल रहता है या संस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है तो आवेदक द्वारा जमा अग्रिम सुरक्षित राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।

ज) **ई0ओ0आई0 (EoI) में बिना कारण बताये संशोधन करने स्थगित करने या इसे रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।** ई0ओ0आई0 (EoI) मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए फैसलों से संबंधित कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

खंड–V

10. सामान्य नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदन स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए। ओवर राइटिंग और (वाइटनर) Whitner प्रयोग किया हुआ आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन में किए गए हरेक संशोधन पर आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

2. एक आवेदक एक दुकान के लिए एक से अधिक ई0ओ0आई0 (EoI) जमा नहीं करेगा। परन्तु, एक आवेदक अलग–अलग श्रेणी की दुकानों के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क और ईएमडी का भुगतान करके एक से अधिक ई0ओ0आई0 (EoI) जमा कर सकता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी निविदाकर्त्ता को दो से अधिक दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति/लाईसेंस जारी नहीं किया जायेगा।

3. इच्छुक एजेंसियां/व्यक्ति प्रत्यक्ष जानकारी हेतु संस्थान परिसर का भ्रमण कर सकते हैं।

4. संस्थान आई0आई0टी0 पटना परिसर में किसी भी दुकान को चलाने के लिए कोई भी स्थान आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. पट्टे/अनुबंधकी अवधि शुरूआत में श्रेणी 'ए' के लिए पांच साल, श्रेणी 'बी' के लिए तीन साल, तथा श्रेणी सी की दुकानों के लिए एक साल की होगी।अवधि की गणना लाईसेंस जारी होने की तिथि से की जायेगी। कार्य/व्यवहार संतोषजनक पाये जाने परपट्टे/अनुबंध की अवधि वार्षिक आधार पर संस्थान के अनुमोदन के उपरांत बढाई जा सकती है।

क्रमांक	दुकान की श्रेणी	पट्टे/अनुबंध की अवधि
1	'अ'	5 years
2	'ब'	3 years
3	'स'	1 year

6. निविदा में सफल सभी आवेदकों को "तीन महीने की अग्रिम लाइसेंस फीस" के साथ निष्पादन सुरक्षा जमा (Performance Security Deposit) की राशि/प्रतिभूति निम्नांकित विवरणी के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	दुकान की श्रेणी	सुरक्षा जमा राशि/प्रतिभूति की राशि
1	A ('अ')	Rs.50,000/-
2	B ('ब')	Rs.30,000/-
3	C ('स')	Rs.5,000/-

7. अनुज्ञप्तिधारक निष्पादन सुरक्षा जमा राशि का समायोजन किसी अन्य राशि से नहीं करा सकता है। दुकान के कब्जे को शांतिपूर्ण तरीके से सौंपने और सभी बकाया राशि के भुगतान के उपरांत अनुज्ञप्तिधारक को निष्पादन सुरक्षा जमा राशि, बिना किसी ब्याज के दी जाएगी।

8. अनुज्ञप्तिधारक मासिक लाईसेंस शुल्क का भुगतान श्रेणीवार प्रति वर्ग फुट के हिसाब से नियमित रूप से करेगी। श्रेणी 'अ' की दुकानें 12.00 रूपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से, श्रेणी 'ब' की दुकानें 10.00 रूपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से तथा श्रेणी 'स' की दुकाने 08.00 रूपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से, उनकी दुकान के आवंटित क्षेत्र के अनुसार लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाना है। किसी भी दुकान का आवंटन उसके क्षेत्रफल की आवश्यकता और स्थान की उपलब्धता के आधार पर होगा। लाइसेंस शुल्क में हर साल 10% की दर से बढोतरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकान में स्थापित मीटर के रीडिंग के अनुसार, संस्थान द्वारा अनुमोदित दर पर बिजली शुल्क का हर महीने भुगतान किया जाना है। लाइसेंस शुल्क, बिजली शुल्क आदि की नियमित रूप से भुगतान कर, रसीद का प्रमाण संस्थान प्रशासन के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।

9. लाइसेंसधारक को निर्धारित समय अवधि के भीतर लाइसेंस शुल्क, बिजली और अन्य शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि लाइसेंसधारक निर्धारित समय अवधि के भीतर लाइसेंस शुल्क, बिजली और अन्य शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो बिना कोई नोटिस जारी किए लाइसेंस रद्द करने एवं दुकान परिसर को लॉक करने के साथ–साथ निष्पादन सुरक्षा जमा राशि/प्रतिभूति और अन्य पूर्व में जमा अन्य राशि को जब्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

10. संस्थान लाइसेंसधारी द्वारा समर्पित निष्पादन सुरक्षा जमा राशि में से जुर्माना, किस्तों और अन्य बकाया सहित कोई भी बकाया वसूल करने का हकदार होगा।

11. दुकान/फर्म सप्ताह में सातों दिन खुली रहेगी। दुकान बंद करने से पूर्व संस्थान से स्पष्ट अनुमति के साथ विधिवत् सूचना देना अनिवार्य होगा।

12. यदि उचित अनुमति के बिना दुकान 7 दिनों से अधिक समय तक बंद रहती है, तो ऐसा मान लिया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। तदोपरांत संबंधित दुकान के लिए नए ई0ओ0आई0 (EoI) को आमंत्रित किया जाएगा और नुकसान को पहले लाइसेंसधारी से वापस लिया जाएगा, जब तक कि दूसरा लाइसेंसधारी द्वारा कब्जा नहीं कर लिया जाता है।

13. आईआईटी पटना द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार दुकान खुला रखना होगा।

14. अनुबंध पूरी तरह से अस्थायी होगा और लाइसेंसधारक को कभी भी अनुबंध की अवधि के विस्तार की मांग का अधिकार नहीं होगा। लीज अवधि में कोई भी विस्तार संस्थान के विवेकाधिकार पर होगा।

15. दुकान का स्वामित्व और उसका कानूनी अधिकार आई0आई0टी0 पटना के पास सुरक्षित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारक को केवल अनुमोदित व्यवसाय के लिए लाइसेंस अवधि के दौरान दुकान का उपयोग करने का अधिकार होगा।

16. संस्थान या उसके अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सभी आदेशों और निर्देशों का अनुज्ञप्तिधारक द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना है। अनुबंध की शर्तों अथवा संस्थान के निर्देशों का पालन न करने और उल्लंघन करने की स्थिति में, आवंटित दुकान को बिना कारण बताए रद्द करने एवं निष्पादन सुरक्षा जमा राशि/प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

17. संस्थान के हित में, यदि आवश्यक हो, तो दुकान के स्थान को बदलने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है। तदनुसार, लाइसेंस शुल्क की राशि दुकान के क्षेत्रफल में परिवर्तन से प्रचलित दर के अनुसार बदल दी जाएगी। ऐसा करने से पूर्व संस्थान द्वारा समुचित सूचना देते हुए अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त समय दिया जाएगा। समय–समय पर संस्थान की विशिष्ट आवश्यकता के आलोक में अनुज्ञप्तिधारक दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति/विरोध नहीं कर सकता है।

18. निविदा में सफल निविदादाताओं द्वारा संस्थान परिसर में सफाई तथा अन्य गतिविधियों में लगे सभी कार्यरत कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर कोई आपराधिक या पुलिस मामला नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित कर संस्थान प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञप्तिधारक संस्थान परिसर में केवल वैसे लोगों को नियुक्त करेगा जिनका पूर्ववृत्त पुलिस अधिकारियों द्वारा सत्यापित हो।

19. संस्थान किसी भी समय किसी भी अनुज्ञप्तिधारक एवं उसके कर्मचारी का पूर्ववृत्त की जाँच करा सकता है। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। जाँच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने पर अनुज्ञप्तिधारक से अनुज्ञप्ति वापस लेने का यह पर्याप्त कारण होगा। ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारक को होने वाली हानियों के लिए संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

20. अनुज्ञप्तिधारक को संस्थान परिसर में प्रवेश के लिए अपने श्रमिकों/कर्मियों के लिए संस्थान के सुरक्षा प्रशासन से गेट पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21. संस्थान, संस्थान कर्मचारियों/ छात्रों आदि किसी भी सदस्य के विरूद्ध किसी भी बकाया बिल के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस आशय का एक नोटिस दुकान के परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

22. व्यवसाय की प्रकृति को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. अनुज्ञप्तिधारक आवंटित दुकान के किसी भी हिस्से को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही उसे किसी अन्य व्यक्ति को भाडे पर उपयोग करने हेतु देगा। यदि अनुज्ञप्तिधारक ऐसा करता पाया जाता है तो उसका पट्टा/अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

24. संस्थान की पूर्व स्वीकृति के अनुज्ञप्तिधारक दुकान के मौजूदा अचल संरचना में कोई जोड़/परिवर्तन नहीं करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारक अचल संरचना में जोड़/फेरबदल करता पाया जाता है, तो उसका अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

25. अनुज्ञप्तिधारक दुकान में अपने फर्नीचर और फिक्स्चर की व्यवस्था स्वंय करेगा।

26. अनुज्ञप्तिधारक को बाहरी (अवांछित) लोगों को दुकान की सुविधाएँ प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। दुकान पूरी तरह से संस्थान के निवासियों, छात्रों, आगंतुकों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए होगा।

27. दुकान गैर–विशिष्ट आधार पर होगी और एक ही तरह की एक से अधिक दुकानें शुरू में या बाद में संस्थान परिसर में सक्षम प्राधिकार द्वारा खोली जा सकती हैं। एक ही तरह के एक से अधिक दुकान के निर्माण या विधिवत आवंटन होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारक को लाइसेंस अवधि, लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा धन में किसी तरह की कटौती के लिए कोई आपत्ति या

दावा करने का अधिकार नहीं होगा। संस्थान प्राधिकार की संतुष्टि के लिए अनुज्ञप्तिधारक सुसज्जित रूप से दुकान का संचालन करेगा तथा वस्तुओ/ सामग्रियों को प्रस्तुत करने योग्य तरीके से प्रदर्शित करेगा।

28. बिक्री योग्य आवश्यक सामग्री सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्तायुक्त, विश्वसनीय और किफायती होना चाहिए। दुकान में बिक्री के लिए अनुमोदित संग्रहीत सामग्री एवं वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। हरी सब्जियों/फलों/डेयरी उत्पादों/किराने की वस्तुओं के मामले में दुकानदार को हमेशा ताजा स्टॉक की आपूर्ति करनी होगी। यदि सक्षम प्राधिकारी या उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण के दौरान किसी वस्तु /सेवा की खराब/घटिया गुणवत्ता पाये जाने पर स्टॉक या उसके हिस्से को जब्त किया जा सकता है या उसे नष्ट किया जा सकता है।

29. किसी भी समय संस्थान के सक्षम प्राधिकार या उनके प्रतिनिधि द्वारा सामग्री का नमूना एकत्र किया जा सकता है और यदि सामग्री अपने निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरता है, तो अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

30. अनुज्ञप्तिधारक संस्थान वासियों को उचित मूल्य पर सामान/वस्तुएं बेचेगा जो अमुद्रित एमआरपी सामान/वस्तुओं को छोड़कर एमआरपी से अधिक नहीं होनी चाहिए। बल्कि संस्थान द्वारा प्राप्त सुविधाओं एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को एमआरपी मूल्य से रियायती मूल्य पर बेचना अपेक्षित है। यदि किसी भी समय किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, एमआरपी से अधिक पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारक को जुर्माना और चेतावनी का सामना करना पड़ सकता है। दो चेतावनियों के बाद भी यदि दुकानदार द्वारा मूल्य संबंधी विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है, तो संस्थान द्वारा प्रदत्त लाइसेंस को समाप्त किया जा सकता है।

31. यदि उत्पादक कंपनी द्वारा किसी उत्पाद के साथ उपहार की घोषणा किया जाता है तो विक्रेता क्रेता को ऐसे उपहार की निःशुल्क आपूर्ति करेगा।

32. अनुज्ञप्तिधारक ग्राहकों के अवलोकनार्थ दुकान में संस्थान द्वारा अनुमोदित मूल्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। उक्त मूल्य सूची अनुज्ञप्तिदाता/संस्थान और अनुज्ञप्तिधारक के आपसी सहमति पर आधारित होगा। मूल्य में किसी भी परिवर्तन (वृद्धि या कमी) को संस्थान से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान के अनुमोदन के बगैर मूल्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुबंध के शर्तों के घोर उल्लंघन के रूप में मानते हुए उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है तथा संस्थान द्वारा अनुबंध भी रद्द किया जा सकता है।

33. वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता के विनियमन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मी द्वारा नियमित निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु औचक निरीक्षण कर अनियमितता संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, तदनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

34. दुकान में केवल ऐसी वस्तुएं बेची जाएंगी, जिन्हें समय–समय पर संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया हो। वैसी वस्तुएं, जो संस्थान द्वारा अनुमोदित नहीं हो, के संबंध में लिखित आदेश के माध्यम से इन वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ऐसे आदेश का उल्लंघन अनुबंध के शर्तों का घोर उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है तथा संस्थान द्वारा अनुबंध भी रद्द किया जा सकता है।

35. अनुज्ञप्तिधारक अपने ग्राहकों से नकदी रहित लेनदेन को भी बढ़ावा देगा।

36. ग्राहकों को बेची गई वस्तुओं के साथ बिल/विपत्र सभी ग्राहकों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वह ग्राहक द्वारा मांग की गई हो, अथवा नहीं।

37. अनुज्ञप्तिधारक काउंटर पर एक शिकायत पुस्तिका उपलब्ध कराएगा जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने एवं संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी को शिकायत पुस्तिकाओं के अवलोकन/निरीक्षण का अधिकार होगा।

38. वस्तु/सेवाओं में किसी भी दो अनुज्ञप्तिधारक ष, अपेक्षित गुणवत्ता में कमी सम्बंधी शिकायत मिलने या बासी/खराब/समय सीमा समाप्त उत्पादों/खाद्य या दुकान में तैयार होने वाले खाद्य वस्तुओं मे प्रतिबंधित कच्चे माल/मसालों आदि के प्रयोग करने या उपस्थित पाये जाने पर या बिक्री हेतु उपलब्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारक पर 5000/– रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उपरोक्त के पुनरावृत्ति के मामले में, सक्षम अधिकारी के आदेश पर संस्थान द्वारा अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

39. दुकान में नारकोटिक्स, तम्बाकू, शराब और खतरनाक सामानों इत्यादि की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा, संस्थान परिसर में शराब, मादक पदार्थों का सेवन और धूम्रपान सख्त प्रतिबंधित है।

40. परिसर को स्वच्छ बनाए रखने तथा हमेशा साफ–सुथरा बनाए रखने में अनुज्ञप्तिधारी सहयोग प्रदान करेंगे।

41. दुकान खुला रहने के दौरान नियमित अंतराल पर जमा होने वाले कूड़े–कचरे को साफ रखने एवं दुकान बंद होने के पूर्व सभी जमा कूड़े के निपटान की जिम्मवारी अनुज्ञप्ति धारक की होगी।

42. जैविक कचरों का निपटान समुचित तरीके से किया जाना चाहिए। संस्थान के अंतर्गत सभी तरह के पॉलिथीन थैले का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

43. अनुज्ञप्तिधारक को खाली पैकिंग, टोकरी या अन्य किसी तरह की सामग्री दुकान परिसर से बाहर (खुले में) या छत पर फेंकने या छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। दुकान परिसर के आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता का उच्च मानक बनाए रखने एवं कूड़ा कचरे के निपटान की जिम्मेवारी दुकानदार की होगी। प्रथम बार गलती पाये जाने पर 500/– रूपये जुर्माना के प्रावधान, द्वितीय अवसर पर 1000/– रूपये जुर्माने का प्रावधान है, पुनः गलती दोहराए जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा।

44. दुकानदार को आवंटित दुकान प्रक्षेत्र से बाहरी स्थान यथा बरामदा इत्यादि का किसी प्रयोजन हेतु प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता पाया गया तो प्रत्येक अवसर पर (तीन अवसर तक) 500/– रूपये का दंड अधिरोपित किया जाएगा, तीन बार से अधिक ऐसी गलती दुहराए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।

45. दुकानदार या उसके कर्मचारियों की लापरवाही से ग्राहकों को होने वाले नुकसान का जिम्मेवार दुकानदार होगा और वह ग्राहक को उचित भरपाई करेगा।

46. रात्रि प्रहरी के अतिरिक्त (यदि उसकी नियुक्ति अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अपने लागत पर की गई हो) रात्रि में किसी भी व्यक्ति को दुकान परिसर में ठहरने की अनुमति नहीं होगी ।

47. किसी भी परिस्थिति में दुकानदार द्वारा बाल श्रमिक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। दुकान में कार्यरत कर्मियों से संबंधित सभी जानकारी का संधारण दुकानदार द्वारा किया जाना है, जिसे मांगे जाने पर दुकानदार को सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

48. अनुज्ञप्तिधारक बिना समुचित जाँच–पड़ताल के किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करेगा और ऐसे कर्मियों की सूचना उसे संस्थान के साथ साझा करना होगा जो न केवल संस्थान प्रशासन द्वारा निर्गत आदेश/सूचना प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत होगा, बल्कि उन्हें अनुज्ञप्तिधारक के सदृश्य समझा/व्यवहृत किया जाएगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारी हमेशा साफ–सुथरे वेशभूषा में रहेंगे तथा उनके चरित्र एवं आचरण के लिए दुकानदार पूर्णतः जिम्मेवार होगा।

49. अनुज्ञप्तिधारक फर्म न्यूनतम वेतन एवं अन्य लागू होने वाले श्रमिक कानूनों के सुसंगत प्रावधानों एवं इसमें समय समय पर होने वाले संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिम्मवार होंगे और इस दरम्यान उपरोक्त कानून के उल्लंघन हेतु संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा, अपितु श्रम कार्यालय से प्राप्त पत्र/पृच्छा के अनुपालन की जबावदेही अनुज्ञप्तिधारक की होगी। अनुबंधित फर्म और उनके कर्मियों के मध्य किसी वेतन भत्ता या अन्य प्रकार के अनुलाभ के भुगतान संबंधी विवाद हेतु संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा। फर्म द्वारा नियुंक्त कर्मी किसी भी अर्थ में संस्थान के कर्मी नहीं माने जाएंगे।

50. अनुज्ञप्तिधारक के व्यवसाय से संबंधित श्रम, खाद्य सुरक्षा इत्यादि कानूनों के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी अनुज्ञप्तिधारक की होगी। अपने व्यवसाय से संबंधित उपयुक्त सरकार/ प्राधिकार से व्यवसाय चलाने हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने, कर, शुल्क, बकाया सांविधिक राजस्व भुगतान की जिम्मवारी अनुज्ञप्तिधारक की होगी एवं श्रम इत्यादि कानूनों के अनुपालन में असफल रहने की स्थिति में संबंधित सरकार/विभाग द्वारा अधिरोपित दंड एवं जुर्माना का भागीदार अनुज्ञप्तिधारक स्वयं होगा और इससे होने वाली कार्रवाई, खर्च, राजस्व मांग, शुल्क इत्यादि मामलों में संस्थान को शामिल नहीं किया जा सकता है।

51. संस्थान की संपत्ति की मूलस्वरूप में बरकरार रखने की जिम्मेवारी अनुज्ञप्तिधारक की होगी। यदि अनुज्ञप्तिधारक की गलती अथवा जानबूझकर या अनुरक्षण में बरती गई लापरवाही के कारण संस्थान के भवन या अन्य संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके मरम्मत (यथासंभव मूल स्वरूप में लाने हेतु कार्रवाई) की जिम्मेवारी भी अनुज्ञप्तिधारक की होगी।

52. दुकान में लगाए/रखे गए उपकरण/सामान की आग, चोरी, दंगे या अन्य अनदेखे खतरों से सुरक्षा की जिम्मेवारी दुकानदार की होगी, इन सबसे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु संस्थान

जिम्मेवार नहीं होगा। तथापि, दुकानदार अपने खर्चे पर नुकसान हो चुके सामान की मरम्मत एवं पूर्व स्वरूप में लाने के हेतु जिम्मेवार होगा।

53. अनुबंध की अवधि के दौरान यदि किसी को उद्देश्य के लिए दुकान की आवश्यकता पड़ती है तो संस्थान उस दुकान का अनुबंध रद्द करते हुए दुकानदार को कार्यादेश में विनिर्दिष्ट समय के अंदर दुकान खाली करना होगा। यदि संस्थान द्वारा निदेशित किए जाने के बाद भी दुकानदार के स्वामित्व वाली वस्तुएं एवं फिटिंग्स तयशुदा अवधि में नहीं हटाई जाती है, तो वह वस्तु/फिटिंग्स संस्थान की संपत्ति मान ली जाएगी, ऐसी दशा में दुकानदार को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

54. अनुज्ञप्तिधारक की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर, अनुबंध स्वतः रद्द हो जाएगा एवं अनुज्ञप्ति मृत व्यक्ति के किसी संबंधी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

55. किराया/लाइसेंस शुल्क पर 18% वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिरोपित किया जाएगा।

56. सामान्य अधिकार पत्र (General Power of Attorney) स्वीकार नहीं किया जाएगा।

57. संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना किसी/नोटिस/कारण के अनुबंध समाप्त कर दे, और अनुज्ञप्तिधारक इसे चुनौती नहीं दे सकता। निष्पादन सुरक्षा राशि या अन्य जमा राशि भी जब्त किया जा सकता है।

58. ई.ओ.आई. में वर्णित योग्यता संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले, बगैर वांछित कागजात और अग्रिम जमा राशि के प्राप्त निविदा को अधूरा मानते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

59. अनुज्ञप्तिधारक फर्म/व्यक्ति एवं संस्थान के मध्य विवाद की स्थिति में, मामले को किसी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, अपितु ऐसे मामले आर्बिट्रेटर (निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना या इनके द्वारा नियुक्त अधिकारी) के समक्ष लाया जाएगा। आर्बिट्रेटर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

60. अनुबंध अवधि के दौरान उत्पन्न सभी विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय पटना प्रक्षेत्रांर्गत होगा।

61. जब कभी आवश्यक एवं उपयुक्त समझा जाएगा, संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह नियमों में संशोधन करते हुए विशिष्ट नियम या शर्त लागू कर सकता है, जिसकी सूचना ससमय अनुज्ञप्तिधारक को प्रेषित की जाएगी।

62. निविदा में सफल व्यक्ति/फर्म का व्यवसाय आरंभ करने से पूर्व संस्थान के साथ 1000/– रूपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध स्वरूप होने वाले खर्च का वहन अनुबंधित व्यक्ति/फर्म को करना होगा।

दिवाकर कुमार 27/07/2020

उप–कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक –I

श्रेणी–अ				
क्र.सं.	दुकानों के नाम	प्रस्तावित स्थान	क्षेत्र (वर्गफुट में)	आवंटित की गई दुकानों की संख्या
1.	किराने की दुकान	आवासीय क्षेत्र	363.75	01
2.	मिनी सुपर बाजार*	आवासीय क्षेत्र	502	01
3.	शुद्ध शाकाहारी भोजनालय	फूड कोर्ट	1029	01
4.	इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर और संबंधित वस्तुओं की दुकान	छात्रावास परिसर	192	01
श्रेणी–ब				
5.	स्टेशनरी दुकान / दुकानें (प्रिंटिंग, फॉटोकॉपी, स्कैनिंग और थीसिस बाइंडिंग के लिए सुविधा होनी चाहिए; बैनर और पोस्टर प्रिंटिंग जैसी अतिरिक्त सुविधाएं वांछित हैं)	फूड कोर्ट–01 आवासीय क्षेत्र–01	दो में से कोई एक 270 और एक 379	02
6.	बहुउद्देश्यीय स्नैक्स केन्द्र (चाय / कॉफी; कोल्ड ड्रिंक; चॉकलेट्स; बिस्कुट; रोल; फ्राइड राइस; नूडल्स; पानीपुरी / गोलगप्पा; आइसक्रीम; बेकरी आइटम और मिठाइयाँ आदि बेचने के लिए)	फूड कोर्ट	499–526	03
7.	जूस सेंटर	छात्रावास क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्र	लगभग 300 वर्गफुट की पूर्व–निर्मित संरचना विक्रेता द्वारा रखी जा सकती है।	03
श्रेणी–स				
8.	पुरूष सैलून	छात्रावास परिसर	162	02

9.	महिला ब्यूटी पार्लर	छात्रावास परिसर	78	01
10.	सब्जी एवं फलों की दुकान	आवासीय क्षेत्र	दो में से कोई एक 210 तथा अन्य 300	02
11.	दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दुकान	आवासीय क्षेत्र	97	01
12.	जेनरल स्टोर	छात्रावास परिसर	192	01
13.	कपड़े धोने की दुकान (आयरनिंग एवं ड्राई क्लीनिंग की सुविधाओं के साथ)	छात्रावास परिसर		01
14.	साईकिल रिपेरिंग दुकान	छात्रावास परिसर	78	02
15	केबल	आवासीय क्षेत्र		01

** मिनी सुपर बाजार को ताजे फल और सब्जियों सहित सभी घरेलू सामान बेचने में सक्षम होना चाहिए।*

1. ***ऊपर बताई गई दुकानों की संख्या और प्रकार अस्थायी है आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि व कमी हो सकती है।***
2. ***संस्थान के हित में दुकान का आकार व स्थान बदलने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।***

<u>अनुलग्नक –II</u>

दुकान के आवंटन के लिए आवेदन पत्रः ______________________________

(श्रेणीः ______________________________ क्रम संख्याः ______________)

सेवा में,

कुलसचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, बिहटा

पटना–801 106

महाशय,

यह आवेदन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में दुकान ______________________ श्रेणी ______________________ के आवंटन के संबंध में ईओआई अधिसूचना संख्या ______________________ दिनांक ______________ के संदर्भ में है। मै, एतद् द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करता/करती हूँ। मैंने आवेदन पत्र के साथ दिए गए सभी नियम और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ा/पढ़ी है और सम्पूर्ण निविदा कागजात को पढ एवं समझ लिया है। इस प्रकार मैं इसके लिए लाइसेंस आवंटित होने पर अपने व्यवसाय के संचालन के दौरान समय–समय पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का पालन करने के लिए सहमति प्रदान करता /करती हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम : ______________________

स्थायी पता : ______________________

दूरभाष संख्या : ______________________

ई–मेल (यदि हो, तो) : ______________________

अनुलग्नक –III
(कम्पनी के शीर्ष पत्र पर)

क्रम सं.	विवरण		
1	दुकान का विवरण जिसके लिए आवेदन किया गया (दुकान का नाम, श्रेणी और दुकान क्रम संख्या)		यहाँ एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं
2	कम्पनी/फर्म का नाम		
3	पत्राचार का पूरा पता		
5	कार्यालय/निवास की दूरभाष /मोबाईल संख्या		
6	ई–मेल आईडी, यदि कोई हो, तो		
7	मालिक/साझेदार का नाम		
8	पैन नम्बर (अनिवार्य)		
9	जीएसटी पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो, तो)		
10	काई अन्य प्रासंगिक लाइसेंस		
11	पिछले 5/3 वर्षों में टर्नओवर (श्रेणी अ के लिए 5 वर्ष और श्रेणी ब के लिए 3 वर्ष)		
12	पुलिस सत्यापन विवरण		

"यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं ईओआई दस्तावेज में निर्दिष्ट सामान्य नियम और शर्तों से सहमत हूँ और इसका अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैंने निविदा को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है।

दिनांक के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का मुहर एवं हस्ताक्षर दिनांक सहित

<u>अनुलग्नक –IV</u>

<u>काली सूची में डाले जाने/निषेध किए जाने संबंधी घोषणा</u>

(निविदादाता द्वारा 10/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर क्रियान्वित पब्लिक नोटरी/कार्यकारी दंडाधिकारी नोटरी की सत्यापित प्रति समर्पित किया जाना है।)

मैं/हम ____, दुकानदार इस बात की घोषणा करता/करते हैं कि दुकान ___________________________ को पूर्व में किसी भी सरकारी ईओआई में भाग लेने से केंद्र/राज्य सरकार या संगठन या संस्थान द्वारा कालीसूची में नहीं डाला अथवा निषेध किया गया है।

या,

मैं/हम ____, दुकानदार इस बात की घोषणा करता/करते हैं कि प्रस्तावित दुकान/फर्म अर्थात् ____________(दुकान या फर्म का नाम)__________, केन्द्र/ राज्य सरकार या अन्य किसी संगठन या संस्थान ________________________ द्वारा दिनांक ______________________ से _______________ तक _____________ वर्षों की अवधि के लिए सरकारी ईओआई में भाग लेने से कालीसूची में डाला/निषेध किया गया था। यह अवधि दिनांक 27.07.2020 से पूर्व समाप्त हो गई है और अब फर्म/दुकान सरकारी ईओआई में भाग लेने के हकदार हैं।

यदि उपरोक्त जानकारी गलत पायी जाती है तो मैं/हम पूरी तरह से जानते हैं कि ईओआई/अनुबंध निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा ईएमडी/निष्पादन सुरक्षा जमा राशि को जब्त करते हुए निविदा/अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, निविदादाता/अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किए गए पूर्ण अथवा आंशिक कार्य के विरूद्ध भुगतान हेतु संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा।

साक्षी

नामः ________________________

पताः ________________________

अनुप्रमाणितः

(सार्वजनिक नोटरी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट)

नोटः वैसे फर्म जो पूर्व में किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में डाले अथवा निषेधित किये गये हैं, उन्हें ई.ओ.आई. प्रकाशन की तिथि अर्थात् 27.07.2020 से पूर्व काली सूची से बाहर आ जाने अथवा निषेध के प्रभाव से विमुक्त होने पर ही निविदा हेतु योग्य होंगे।